रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937
No. 803] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/AGRAHAYANA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 990(अ).——राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर विभाग (समूह 'ग' पद) कर सहायक भर्ती नियम 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के.प्र.क.बो.) में **कर सहायक,** पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कर सहायक समूह 'ग' पदों पर भर्ती नियम 2015 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा वेतनमान**.–उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**.–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, शैक्षिक अर्हताएं तथा इससे सम्बद्ध अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

परंतु पदोन्नति द्वारा भर्ती, संवर्ग नियत्रक प्राधिकारी द्वारा केवल अपने क्षेत्र के सम्बन्धित संवर्ग के व्यक्तियों में से ही की जाएगी, जैसा कि अनुसूची के कालम 11 में दिया गया है।

4. **निरर्हता**.–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकती है।

5. **षिथिल करने की षक्ति**.–जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृति**.–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**पे बैण्ड और ग्रेड पे**	**क्या चयन पद है या अचयन**
1	2	3	4	5
कर सहायक	(12219) *(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह ग अराजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन बैण्ड 1 रु. 5200–20200+ग्रेड वेतन रु. 2400	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	**सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं**	**क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो**
6	7	8	9
18–27 वर्ष (केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए उच्च आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी**: कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती की स्थिति में आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की गई तिथि होगी न कि वर्णित प्रदेशों के प्रतिभागियों के लिए बढ़ाई गई अंतिम तिथि होगी। (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर मण्डल, लाहुल और स्पिति जिला, चंबा का पांगी उप–जिला, हिमांचल प्रदेश, अण्डमान–निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप)।	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या समतुल्य डिग्री (2) 8000 अक्षर प्रति घंटे की डाटा एंट्री स्पीड।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष (सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह बढ़ायी जा सकती है

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता	**प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समामेलन द्वारा भर्ती की दषा में वे ग्रेड(श्रेणियां) जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समामेलन किया जाएगा।**
10	11
25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	**प्रोन्नतिः** समूह 'ग' में, मल्टी–टास्किंग कर्मचारी, निम्न श्रेणी लिपिक, नोटिस सर्वर, रिकार्ड कीपर, वरिष्ठ गेस्टनर ऑपरेटर पे बैण्ड–1 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो एवं जो पहले समूह 'घ' कर्मचारी रहें हो जिन्होंने (i) मैट्रिकूलेशन परीक्षा या उसके समतुल्य तथा (ii) निर्धारित विभागीय परीक्षा के लिए 5000 अक्षर प्रति घंटे की डाट्रा एंट्री स्पीड की क्षमता हो। **टिप्पणीः** 1. कर सहायक ग्रेड में प्रोन्नति क्षेत्रवार की जाएगी। 2. ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर्प्रभार स्थानांतरण वाले उन कर्मचारियों द्वारा पुराने प्रभार में दी गई सेवा को नए प्रभार में नहीं

	गिना जाएगा, जिन्होंने अपने स्वंय के अनुरोध पर स्थानांतरण के उपरांत ऐसे स्थानांतरण पर पदभार ग्रहण किया है। 3. जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनकी प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है उसकी सरंचना	भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से किन तो परिस्थितियों में परामर्श लिया जाएगा
12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1. प्रधान मु. आ. आ.(सं.नि.प्रा.) द्वारा नामित अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त.(मुख्या.) —अध्यक्ष 2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त(सं.नि.प्रा.) द्वारा नामित, आयकर उपायुक्त —सदस्य 3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के स्थानीय उपायुक्त, —सदस्य 4. प्रधान मु.आ.आ.(सं.नि.प्र.) द्वारा नामित —सदस्य एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी जिसका पद आयकर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो।	**लागू नहीं होता ।**

[फा. सं. एचआरडी/सीएम/121/08/2014—15/डायरी सं. 1605/2015—प्रशा. 7]

जती सिंह मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2015

G.S.R. 990(E).-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Income Tax Department (Group C Post), Recruitment Rules, 2003 relating to Tax Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Tax Assistant** in the Central Board of Direct Taxes (CBDT), Department of Revenue, Ministry of Finance.

1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, Tax Assistant Group C Posts, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification, Pay Band & Grade Pay and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule :

Provided that the recruitment by promotion against posts in the Region of a Cadre Controlling Authority shall be made only from amongst persons belonging to the cadres of that Region, as indicated against column 11 of the Schedule.

4. Disqualifications.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay**	**Whether Selection or Non-Selection post**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Tax Assistant.	[12219]*(2015) *Subject to variation depending on workload.	General Central Services, Group 'C' Ministerial, Non-Gazetted.	Pay Band-I, Rs. 5200-20200 + Grade Pay of Rs. 2400.	Not Applicable

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
6	**7**	**8**	**9**
18-27 years (Subject to relaxation of upper age limit for specified categories of persons as per orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** In case of recruitment through the Staff selection Commission, the crucial date for determining the age limit shall be as	i. A degree of a recognized university or equivalent, and ii. having a data entry speed of 8000 key depressions per hour.	Not Applicable	Two years for direct recruits (extendable by the competent authority in accordance with the instructions issued by the Government

advertised by the SSC. Otherwise, the crucial date for determining the age limit shall be the general closing date and not the extended closing date prescribed for candidates in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep			from time to time).

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made**
10	**11**
25% by Promotion and 75% by Direct Recruitment.	**Promotion :** Group 'C', viz., Multi-tasking Staff, Lower Division Clerk, Notice Server, Record Keeper, Sr. Gestetner Operator in Pay Band-I with five years' regular service in the Grade including in the erstwhile Group 'D' having passed i) matriculation examination or equivalent and ii) having qualified the prescribed departmental examination for data-entry skill for 5000 key depressions per hour. **Note :** 1. Promotion to the grade of Tax Assistant will be made region wise. 2. For the purpose of reckoning five years' regular service in the grade, the service rendered by an inter-region transferee in the old region shall not be counted in the new region which he has joined on such transfer, if the transfer is on the request of the officer concerned. 3. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Group `C' Departmental Committee (Promotion promotion):- 1. Addl./JCIT(Hqrs.) nominated by the Pr. CCIT(CCA) - Chairman 2. Dy. CIT to be nominated by the Pr. CCIT(CCA) -Member	Not Applicable.

3. Local Dy. Commissioner of C&CE - Member 4. One SC/ST Officer not below the rank of DCIT or Liaison Officer as nominated by the Pr. CCIT(CCA) - Member	

[F. No. HRD/CM/121/08/2014-15/Dy. No.1605/2015-Ad.VII]

JATI SINGH MEENA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.